डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0 प्र0

सेक्टर–11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2024 / 870 दिनांकः 08 फरवरी, 2024

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक
विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थान।

विषयः प्रवेश और फीस नियमन समिति / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थानों की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रवेश और फीस नियमन समिति के पत्र संख्या 5260–61 / प्र0फी0नि0स0 / शु0नि0/2024 दिनांक 24.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति / प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11.01.2024 को समिति की सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु–07 में निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा समिति / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से सम्बन्धित सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में लिया गया निर्णय निम्नवत् हैः–

"समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना सम्बन्धित संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर विलम्बतम दिनांक 29.02.2024 तक प्रदर्शित किये जाने हेतु डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिन संस्थानों द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी वेबसाइट पर दिनांक 29.02.2024 तक प्रदर्शित नही किया जायेगा उन संस्थानों के सम्बन्ध में सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को कारण बताओं नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया"।

उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा पत्रांक ए0के0टी0यू0 / कुस0का0 / 2023 / 19954 दिनांक 29 अगस्त, 2023 के माध्यम से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी संस्थाओं को निर्देशित किया गया था कि **उ0प्र0 निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 के बिन्दु–12 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन में निर्धारित शुल्क की सूचना सभी संस्थानों को अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है,** परन्तु अधिकांश संस्थाओं द्वारा अपनी अधिकृत वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क की सूचना अपलोड नही की गयी है। यह खेद का विषय है।

अतः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थानों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में सभी संस्थान अपनी अधिकृत वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क की सूचना प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें, जिससे नवप्रवेशित छात्र / छात्राओं / अभिभावको को शुल्क सम्बन्धी कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(रीना सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति, बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
3. स्टाफ आफीसर, कुलपति कार्यालय, ए0के0टी0यू0, लखनऊ।

(रीना सिंह)
कुलसचिव

महत्वपूर्ण / समयबद्ध
Email : afrcup1155@gmail.com
पत्रांक–5260-61 / प्र0फी0नि0स0 / शु0नि0 / 2024

प्रेषक,

सचिव,
प्रवेश और फीस नियमन समिति,
बासमण्डी चौराहा चारबाग,
लखनऊ।

DR(RD)
Reg
29/1/24

सेवा में,

1. कुलसचिव,
डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम,
प्राविधिक विश्वविद्यालय,सेक्टर–11,
जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ।

2. सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रवेश और फीस नियमन समिति — लखनऊः दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषयः–डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा समिति / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थानों की अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समिति कार्यालय के पत्रांक संख्या–5165–66 / प्रफीनिस / शु0नि0 / 2023 दिनांक 18.08.2023 द्वारा कुलसचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के नियंत्रणाधीन निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों को प्रवेश और फीस नियमन, समिति, उ0प्र0 लखनऊ / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क आदेश की सूचना अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति / प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में **दिनांक 11.01.2024** को समिति की सम्पन्न बैठक के **कार्यवृत्त के बिन्दु–7 (संलग्नक–1) में** निजी क्षेत्र की डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण संस्थानों द्वारा समिति / शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से सम्बन्धित सूचना अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

समिति का निर्णयः–

"समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना सम्बन्धित संस्थानों को अपनी वेबसाइट पर विलम्बतम ***दिनांक 29.02.2024*** *तक प्रदर्शित किये जाने हेतु* ***डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित*** *किया गया। जिन संस्थानों द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी वेबसाइट पर* ***दिनांक 29.02.2024*** *तक प्रदर्शित नहीं किया जायेगा उन संस्थानों के सम्बन्ध में सचिव, प्रवेश और फीस नियमन समिति को कारण बताओं नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु अधिकृत किया गया।"*

अतः विनियमावली–2015 के बिन्दु–12 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत **समिति द्वारा दिनांक 11.01.2024** को लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का

197
30/1/24

D/umesh data 2020-23/Go1

कष्ट करें। जिससे जनमानस को प्रवेश और फीस नियमन समिति, उ0प्र0 लखनऊ/शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, प्रवेश और फीस नियमन समिति को महोदय के अवलोकनार्थ।

(डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह)
सचिव